खण्ड–33, अंक–02
बुधवार, 08 चैत्र, शक संवत्, 1934
(28 मार्च, 2012 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(तृतीय विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2012)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 33 में 03 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2013

मूल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थिति	''क''
उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (सदन के पटल पर रखा)	1
उत्तराखण्ड चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के क्षति का निवारण) अध्यादेश, 2011 (सदन के पटल पर रखा)	1
उत्तराखण्ड विनियोग (2011–12 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2011 (अधिनियमित होने की घोषणा)	1
उत्तराखण्ड विशेष न्यायालय विधेयक, 2011 (अधिनियमित होने की घोषणा)	1
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार विधेयक, 2011 (अधिनियमित होने की घोषणा)	2
उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2011 (अधिनियमित होने की घोषणा)	2
पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 (अधिनियमित होने की घोषणा)	2
कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत)	3
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	3–5
महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	5–6
वित्तीय वर्ष 2012–13 के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण ...	7
नियम–53 के अन्तर्गत सूचना	7

'क'

उपस्थिति

1–श्री अजय टम्टा
2–श्री अजय भट्ट
3–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4–श्रीमती अमृता रावत
5–श्री अरविन्द पाण्डे
6–श्री आदेश चौहान
7–श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
8–श्री उमेश शर्मा (काऊ)
9–श्री किरन चन्द मण्डल
10–श्री गणेश गोदियाल
11–श्री गणेश जोशी
12–श्री चन्दन राम दास
13–श्री चन्द्र शेखर
14–डा0 जीत राम
15–श्री तीरथ सिंह
16–श्री दलीप सिंह रावत
17–श्री दान सिंह भण्डारी
18–श्री दिनेश अग्रवाल
19–श्री दिनेश धनै
20–श्री नवप्रभात
21–श्री नारायणराम आर्य
22–श्री पुष्कर सिंह धामी
23–श्री पूरन सिंह फर्त्याल
24–कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''
25–श्री प्रदीप बत्रा
26–श्री प्रीतम सिंह
27–श्री प्रीतम सिंह पंवार
28–श्री प्रेमचन्द अग्रवाल
29–श्री प्रेम सिंह
30–श्री फुरकान अहमद
31–श्री बंशीधर भगत
32–श्री भीमलाल आर्य
33–श्री मदन कौशिक
34–श्री मदन सिंह बिष्ट
35–श्री मनोज तिवारी
36–श्री मयूख सिंह
37–श्री महावीर सिंह
38–श्री माल चन्द
39–श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
40–श्री यतीश्वरानन्द
41–श्री यशपाल आर्य
42–श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक''
43–श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
44–श्री राजकुमार
45–श्री राज कुमार ठुकराल
46–श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
47–श्री राजेश शुक्ला
48–श्री ललित फर्स्वाण
49–श्री विक्रम सिंह नेगी
50–श्री विजयपाल सिंह सजवाण
51–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
52–श्री बिशन सिंह चुफाल
53–श्रीमती शैला रानी रावत
54–श्री संजय गुप्ता
55–श्री सरवत करीम अंसारी
56–श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
57–श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
58–श्री सुबोध उनियाल
59–श्रीमती सरिता आर्य
60–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
61–श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
62–श्री सुरेन्द्र राकेश
63–श्री हरक सिंह रावत
64–श्री हरबन्स कपूर
65–श्री हरभजन सिंह चीमा
66–श्री हरीश धामी
67–श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
68–श्री हेमेश खर्कवाल

बुधवार, दिनांक 28 मार्च, 2012 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे
अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल के सभापतित्व में आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(भारतीय जनता पार्टी के कोई भी माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2011

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन), अध्यादेश, 2011 को सदन के पटल पर रखती हूँ।

उत्तराखण्ड चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के क्षति का निवारण) अध्यादेश, 2011

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के क्षति का निवारण) अध्यादेश, 2011 को सदन के पटल पर रखती हूँ।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन में उपस्थित हो गये)

उत्तराखण्ड विनियोग (2011–12 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग (2011–12 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2011, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 29 सितम्बर, 2011 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2011 का अठारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड विशेष न्यायालय विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तराखण्ड विशेष न्यायालय विधेयक, 2011, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 28 सितम्बर, 2011 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2011 का उन्नीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार विधेयक, 2011, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 28 सितम्बर, 2011 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2011 का बीसवां अधिनियम बन गया।

(भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात को एक साथ उठाने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2011, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 28 सितम्बर, 2011 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 12 अक्टूबर, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2011 का इक्कीसवां अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूँ कि पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2011, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 01 नवम्बर, 2011 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 03 नवम्बर, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2011 का बाईसवां अधिनियम बन गया।

(भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्य ''वेल'' में आ गये और अपनी बात को एक साथ उठाने लगे तथा ''वेल'' से नारेबाजी करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया) (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 27 मार्च, 2012 की बैठक में दिनांक 28 एवं 29 मार्च, 2012 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

मार्च, 2012

28 (बुधवार)
1. सदन के समक्ष रखे जाने वाले पत्रादि का पटल पर रखा जाना।
2. वित्तीय वर्ष 2012–13 के एक भाग के लिए लेखानुदान की माँगों का प्रस्तुतीकरण। (04.00 बजे)
3. महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा।

मार्च, 2012

29 (गुरूवार)
1. विधायी कार्य।
2. महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, मतदान एवं पारण।
3. वित्तीय वर्ष 2012–13 के एक भाग के लिए लेखानुदान की माँगों पर चर्चा, मतदान एवं पारण।
4. वित्तीय वर्ष 2012–13 के एक भाग के लेखानुदान के लिए विनियोग विधेयक की पुरःस्थापना, विचार एवं पारण।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गयी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है। (प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(''वेल'' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे और कुछ माननीय सदस्यों द्वारा ''वेल'' में कुछ पत्रादि उछाले गये) (घोर व्यवधान)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यगण ''वेल'' में नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक, श्री दलीप सिंह रावत तथा श्री राजेश शुक्ला की कुल 03 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री मदन कौशिक की

सूचना को नियम–300 के अन्तर्गत कल कार्यसूची के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। श्री दलीप सिंह रावत की सूचना को मैं नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर कार्यसूची की मद के क्रमानुसार सुन लूंगा। श्री राजेश शुक्ला की सूचना जो कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति के सम्बन्ध में है, केन्द्रीय विषय से सम्बन्धित है तथा राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर है। अतः यह सूचना अस्वीकार की जाती है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री दलीप सिंह रावत का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों से अनुरोध है, कृपया शान्त रहें और अपना स्थान ग्रहण करें। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत होना है। मेरा माननीय सम्मानित सदस्यों से अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान)

मैं सदन की कार्यवाही 30 मिनट के लिए स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही 11 बजकर 08 मिनट पर 30 मिनट के लिए स्थगित हुई)

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 12.20 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 12 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

*श्री हरबन्स कपूर–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार अल्पमत की सरकार है और मेरा अनुरोध है कि सरकार पहले विश्वासमत प्राप्त कर ले उसके बाद आगे की कार्यवाही प्रारम्भ हो।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, अनुज्ञा नहीं ली है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप सम्मानित सदस्य हैं, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव आना है, मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया आप अपनी सीट पर बैठें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरबन्स कपूर–

मान्यवर, आप भिज्ञ हैं कि वर्तमान सरकार बहुमत की सरकार नहीं है और जब तक ये विश्वासमत प्राप्त नहीं करती तब तक कोई कार्य करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार को निर्देशित करें कि वे गोपनीय एकल प्रणाली से विश्वासमत प्राप्त करके आगे की कार्यवाही प्रारम्भ करें।

श्री अध्यक्ष–

आपको बोलने की अनुमति नहीं दी गई है, कृपया आप अपने स्थान पर बैठें। (व्यवधान)

(माननीय अध्यक्ष द्वारा मद संख्या–10 के लिए माननीय सदस्या श्रीमती इन्दिरा हृदयेश का नाम पुकारे जाने पर)

श्री हरबन्स कपूर–

मान्यवर, आपका विनिश्चय नहीं आया है।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने लगे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मेरा प्रतिपक्ष के सभी सम्मानित माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव आ रहा है, उसको विधिवत् आने दीजिए। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे और नारे लगाने लगे)

(घोर व्यवधान के साथ)

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि ''यह सदन महामहिम राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2012 को दिए गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।''

*श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर बैठ गये)

श्री अध्यक्ष–

शासक दल का बहुमत अध्यक्ष के चुनाव में साबित हो चुका है। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये और एक साथ अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही अपराह्न 4.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ। 4.00 बजे लेखानुदान प्रस्तुत किया जायेगा।

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 4 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

*श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह जो राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव आ रहे हैं, यह असंवैधानिक है। सरकार पहले बहुमत सिद्ध करे। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वित्तीय वर्ष 2012–13 के एक भाग के लिये लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2012–13 के एक भाग के लिये लेखानुदान प्रस्तुत करती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियाँ वितरित की जाएं।

(प्रतियाँ वितरित की गयीं)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि यदि स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से होता तो बहुमत सिद्ध करने की बात समझ में आती किन्तु स्पीकर के चुनाव में मतदान हुआ और उसमें 31 मतों के विरुद्ध 39 मतों से हमारे स्पीकर विजयी घोषित हुए। इसलिए स्पीकर का चुनाव होने पर सरकार का विश्वास मत सिद्ध हो चुका है। (व्यवधान)

श्री अजय भट्‌ट–

मान्यवर, हम यह चाहते हैं कि सदन ठीक से चले। हमारा इन्टेन्शन यह नहीं है कि सदन न चले। हम यहाँ पर अपने क्षेत्र की एक–एक बात कहें, यह हमारी मंशा है। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम–53 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक की सूचना प्राप्त हुई है, जो प्रदेश में रसोईं गैस की कालाबाजारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। मैं इस सूचना को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ।

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 4 बजकर 03 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

देहरादून
दिनांक 28 मार्च, 2012

डी0पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव
विधान सभा, उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 विधान सभा/158–04–05–2013–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।